रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 1986/फाल्गुन 2, 1907
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 1986/PHALGUNA 2, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1986

अधिसूचना

का आ 65(अ) केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 22क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 21 और धारा 22 के उपबन्ध इस अधिसूचना की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट किसी उद्योग या सेवा की बाबत किसी प्रस्थापना को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) अनुसूची के भाग "ख" मे सूचीबद्ध किसी उद्योग की बाबत प्रस्थापना ऐसे जिले मे कार्यान्वित की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा "उद्योग रहित जिला" के रूप मे अधिसूचित किया गया है।

(ख) प्रस्थापना का सबध किसी ऐसी वस्तु से नही है जो औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2क) के अधीन अधिसूचित किसी आदेश द्वारा अनन्य रूप से किसी लघु उद्योग उपक्रम द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया हो।

(ग) औद्योगिक उपक्रम निम्नलिखित किसी स्थान पर अवस्थित नही है या अवस्थित करने की प्रस्थापना नही है, अर्थात् :—

(i) भारत की जनगणना, 1981 मे यथा अवधारित, दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगर की मानक शहरी क्षेत्र सीमा, या

(ii) उक्त जनगणना मे यथा अवधारित पाच लाख से अधिक आबादी वाले किसी शहर की नगरपालिका सीमाए।

(घ) उपक्रम का स्वामी, प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के कपनी कार्य विभाग को अभिलेख के प्रयोजन के लिए, एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा जिसमे प्रस्थापना के ब्योरे और साथ ही, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन जहा अपेक्षित है वहा, उनके आवेदन की एक प्रति भी होगी।

2 यह अधिसूचना उद्योग और कपनी कार्य मत्रालय, कपनी कार्य विभाग की अधिसूचना स का आ 408 (अ), तारीख 22-5-1985 के अतिरिक्त है और उसका अल्पीकरण नही करती।

3. यह अधिसूचना राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से पाच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

अनुसूची

भाग "क"

1. जहाज उद्योग
2. होटल उद्योग
3. स्पज लोहा और पैलेटिकरण

4. 20 मि.वा. की और उससे कम की वाष्प टरबाइन तथा मिनी और माइक्रो जल विद्युत प्रणालियां/उपस्कर
5. शक्ति और वितरण ट्रांसफारमर, शक्ति केपेसिटर और स्विच गियर
6. डीजल जेनरेटिंग सैट
7. इलैक्ट्रानिक सघटक
8. औद्योगिक मशीनें जिनके अन्तर्गत रबर मशीनरी, मुद्रण मशीनरी, फुटवियर मशीन, गोश्त और कुकुटपालन मशीन भी हैं।
9. प्लास्टिक सांचाकृत माल
10. (क) जिग फिक्सचर, औजार और विशेष प्रकार की डाइयां तथा क्रासलैड टूलिंग।
    (ख) इंजीनियरिंग उत्पादन साहायक जैसे काटने के और खेती के औजार, पैटर्न और डाई तथा खनन के औजार
11. अतर-दहन इंजनों पर आधारित 10 सी एम एस से अधिक के जल पम्प।
12. उच्च प्रौद्योगिक पुर्नोत्पादन और गुणक उपस्कर
13. शब्द संसाधित्र
14. इलैक्ट्रानिक नकदी रजिस्टर/इनवाइस मशीन
15. डिक्टाफून
16. माइक्रो-फिल्मिंग/माइक्रो फिच रीडर।
17. शल्य चिकित्सा के उपकरण स्टरलाइजर, इनक्यूबेटर और तत्समान।
18. जलमापी, वाष्पमापी, विद्युतमापी और तत्समान।
19. वैज्ञानिक उपकरण।
20. चिकित्सीय गैस।
21. (क) प्रशीतन गैस, जैसे द्रव नाइट्रोजन, कार्बन डाइआक्साइड, आदि विपुल मात्रा मे।
    (ख) आरगोन और अन्य दुर्लभ गैसें।
    (ज) औद्योगिक गैसों के विनिर्माण के लिए टनेज संयंत्र।

22. निम्नलिखित थोक औषधियां/औषध अन्तर्वर्ती और उन पर आधारित संयोजन, जिनमें थोक औषध उपभोग (एक विनिर्माता से) और सभी स्रोतों से संयोजन का अनुपात 1 : 5 हों जो नीचे सूची में दी गई हैं :
    (1) एस्प्रीन
    (2) डायगोजिन
    (3) हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड
    (4) आइसोनिकोटीनिक एसिड हाइड्राजाइड
    (5) थियोसिटाजोन
    (6) टोलबुटेमाइड
    (7) पी ए एस अम्ल
    (8) पी ए एस सोयडयम
    (9) कैल्शियम पी ए एस
    (10) कैल्शियम बी पी.ए.एस.
    } पारा एमिनों सेलिसाइलिक अम्ल (पी ए एस) और लवण
    (11) क्लोरामैफीनिकोल
    (12) अमोडिया-क्विन
    (13) क्लोरोक्विन
    (14) डीथाइल कार्बामाजाइन साइट्रेट
    (15) फूसेमाइड
    (16) ग्लाइसरील ट्रिनाइट्रेट
    (17) पैथेलाइल सल्फाथाइयोल
    (18) ग्रिडिनीसोल
    (19) ईथर एनेस्थेटिक
    (20) हैलोथान
    (21) थियोपैंटल
    (22) लिडोसेन
    (23) प्रोसेन
    (24) नाइट्रस आक्साइड
    (25) द्रव प्रोफेन
    (26) फ्लोरपैनेरेमाइन
    (27) इपीन फाइन
    (28) मेबन्डाजोल
    (29) बेफेनियम हाइड्रोक्सी नेफेथीएट
    (30) मैट्रोनीडाजोल
    (31) एम्पलीसिन
    (32) सल्फामेथोक्सा जोल
    (33) ट्रिमेथोप्रिम
    (34) अर्थोमाइसीन
    (35) इथाम्बूटोल
    (36) पाइराजीनामाइड
    (37) प्रिस्थोफलिविन
    (38) हाग्रोक्सी कोवालमाइन/साइनोकोबालमाइन
    (39) डेक्ट्रान
    (40) आइसोसोरबाइड डिमिट्रेट
    (41) प्रोपोनोलोल
    (42) बैरापमिल
    (43) हाड्राल लाजाइन
    (44) मैथाइल डोप
    (45) नियामाइसिन
    (46) बैसीट्रेसिन
    (47) बेटामेथासोन
    (48) बैनजाइल बेन्जोएट
    (49) सल्फा सेटेमाइड
    (50) पिलोकारपाइन
    (51) होमाट्रोपाइन
    (52) क्लोरहेक्सीडाइन
    (53) सिट्रेमाइड
    (54) पाराक्लोर मैटाक्सीलेनोल
    (55) प्रोमोथाजाइन
    (56) डेक्सामैथासोन
    (57) इथीनाइल आस्ट्रडिओल
    (58) नौरथीसटेरोन
    (59) ग्लाइबैनक्लेमाइड
    (60) क्लोर प्रोपमाइड
    (61) निस्टीगमाइन
    (62) सूक्सा मैथोमियम (सुसीनाइल क्लोलाइन क्लोराइड)
    (63) आर्गमेट्रीन/मैथाइल इर्गोमैट्रान
    (64) आक्सीटोसीन

(65) अमीट्रीपटाइलाइन
(66) इमीप्रामाइन
(67) ट्रिलूआपेराजाइन
(68) अमोनोकाइलाइन/थियोफइलाइन
(69) सलबूटामोल
(70) एफीड्रीन
(71) विटामिन ए
(72) विटामिन डी
(73) विटामिन सी
(74) पैन्टोथानेट्स
(75) फैरस लवण
(76) ग्लोरोप्रोमाजाइन
(77) हाइड्रोक्सीलीनल थियोफाइलाइन
(78) डेक्सीसेसीलिन
(79) डाइजापम
(80) सेफालेकसीन
(81) सेफ्राडाइन
(82) सैपोलोराइडाइन

23. कृषि अपशिष्ट, रद्दी और बगास से तैयार लिखने का, मुद्रण का और लपेटने का कागज।
24. बिनौला लिंटर लुगदी
25. वनस्पति तेल, अर्थात्:—
    (क) बिनौले को छोड़कर छोटे बीजो के तेल का विलायक निष्कर्षण/तेल खली और
    (ख) चावल भूसी तेल।
26. भा. मा. स. मानक के अपमार्जक।
27. रिफैक्टरी और भट्टी अस्तर ईंटें।
28. एच.टी. इंसूलेटर।
29. ग्रेफाइट सिरेमिक
30. जिप्सम बोर्ड, वाल बोर्ड और तत्समान।

भाग ख

1. इस्पात संरचनाएं
2. जी.एल.एस. लैम्प
3. साइकिल
4. कृषि उपकरण।
5. भाग क की प्रविष्टि स. 10 के अन्तर्गत सम्मिलित से भिन्न हाथ औजार और छोटे औजार।
6. प्रैशर कुकर, कटलरी और इस्पात फर्नीचर।
7. सभी प्रकार की लालटेनें।
8. ईंधन-दक्ष स्टोव
9. विद्युत मोटरो पर आधारित 10 सी एम एस से अधिक के जलपंप।
10. औद्योगिक सिलाई मशीनें।
11. भाग क की प्रविष्टि सं. 12 के अन्तर्गत सम्मिलित से भिन्न मुद्रण और पुनरूत्पादन उपस्कर।
12. भाग क की प्रविष्टि सं. 14 के अन्तर्गत सम्मिलित से भिन्न नकदी रजिस्टर/इन्वायस मशीनें।
13. इलेक्ट्रानिक प्रकार की मशीनों से भिन्न तुलन मशीनें।
14. गणितीय सर्वेक्षण और रेखांकन उपकरण।
15. भाग क की प्रविष्टि स. 21 के अन्तर्गत सम्मिलित से भिन्न औद्योगिक गैसें।
16. डिब्बा बन्द फल और वनस्पति उत्पाद, प्रोटीन और प्रसंस्कृत भोजन वनस्पति आधारित शिशु भोजन, समुद्री उत्पाद और पशु चारा।
17. साबुन, प्रसाधन सामग्री, सुगंध और प्रसाधन निर्मितियां।
18. चमड़े का माल।
19. शल्य चिकित्सीय और चिकित्सीय रबड़ उत्पाद।
20. काच भाड
21. चीनी मिट्टी के भाड, भाड और सेनेटरी भाँड।
22. टाइलें।
23. इंसूलेटिंग बोर्ड।
24. मुद्रण, जिसके अन्तर्गत लिथो मुद्रण भी है।

[फा. सं. 5/20/82-एम (आई)]

आई. एल. नागपाल, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 21st February, 1986

NOTIFICATION

S.O. 65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) the Central Government hereby directs that the provisions of section 21 and section 22 of the said Act shall not apply to any proposal in respect of any industry or service specified in the Schedule to this notification subject to the following conditions, namely:—

(a) That the proposals in respect of any industry listed in Part 'B' of the Schedule shall be implemented in a District notified by the Central Government as a 'No-industry District'.

(b) That the proposal does not relate to any article that may be reserved for exclusive production by small scale industrial undertakings by any order notified under sub-section (2A) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

(c) That the industrial undertaking is not located or proposed to be located within:—

(i) the Standard Urban Area Limit as determined in the Census of India, 1981, of a city having a population of more than 10 lakhs; or

(ii) the Municipal limits of a city with a population of more than 5 lakhs; as determined in the said Census.

(d) That the owner of the undertaking, person or the authority making the proposal shall submit to the Central Government in the Department of Company Affairs, for the purpose of record, a memorandum containing the details of the proposal, alongwith a copy of their application, wherever required to be made, under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

2. This notification is in addition to and not in derogation of Notification No. S.O. 408(E) dated 22-5-1985 of the

Ministry of Industry and Company Affairs, Department of Company Affairs.

3. This notification shall have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

PART A

1. Shipping Industry
2. Hotel Industry
3. Sponge Iron and Pelletisation
4. Steam turbines of and below 20 MW and mini and micro hydel systems/equipment.
5. Power and distribution transformers, power capacitors and switch gears.
6. Diesel generating sets
7. Electronic Components
8. Industrial machinery, including rubber machinery, printing machinery, footwear machinery, meat and poultry machinery.
9. Plastic moulded goods.
10. (a) Jigs, fixtures, tools and dies of specialised types and crossland tooling.
    (b) Engineering production aids such as cutting; and farming tools, patterns and dies and mining tools.
11. Water pumps beyond 10 cms based on internal combustion engines.
12. High technology reproduction and multiplication equipment.
13. Word processors.
14. Electronic cash registers/invoicing machines.
15. Dictaphone.
16. Micro-filming/micro fich-readers.
17. Surgical insruments—sterilisers, incubators and the like.
18. Watermeters, steam meters, electricity meters and the like.
19. Scientific instruments.
20. Medical gases.
21. (a) Refrigerant gases like liquid nitrogen, carbon dioxide etc in large volumes.
    (b) Argon and other rare gases.
    (c) Tonnage plant for manufacture of industrial gases
22. Following bulk drugs/drug intermediates and formulations based thereon with an overall ratio of bulk drugs consumption (from own manufacture) to formulation from all sources of 1 : 5 as listed below :
    (1) Aspirin
    (2) Digoxin
    (3) Hydrochlorothiazide
    (4) Isonicotinic Acid Hydrazide
    (5) Thiaceazone
    (6) Tolbutamide
    (7) PAS Acid, (8) PAS Sodium, (9) Calcium PAS, (10) Calcium B. PAS — Para Amino Salicylic Acid (PAS) and Salts
    (11) Chloramphenicol
    (12) Amodiaquine
    (13) Chloroquine
    (14) Diethyl Carbamazine Citrate
    (15) Frusemide
    (16) Glyceryl Trinitrate
    (17) Phthalyl Sulphathiazole
    (18) Predinsolene
    (19) Ether Anaesthetic
    (20) Halothane
    (21) Thiopental
    (22) Lidocaine
    (23) Procaine
    (24) Nitrous Oxide
    (25) Ibuprofen
    (26) Chlorpheniramine
    (27) Epinphrine
    (28) Mebendazole
    (29) Bephenium Hydroxy Naphthoate
    (30) Metronidazole
    (31) Ampicillin
    (32) Sulphamethoxazole
    (33) Trimethoprin
    (34) Erythromycin
    (35) Ethambutol
    (36) Pyrazinamide
    (37) Griesoofulvin
    (38) Hydroxy Cobalamine/Cyanocobalamine
    (39) Dextran
    (40) Isosorbide Dinitrate
    (41) Propranolol
    (42) Verapamil
    (43) Hydrallazine
    (44) Methyl Dope
    (45) Neomycin
    (46) Bacitracin
    (47) Betamethasone
    (48) Benzyl Benzoate
    (49) Sulpha-cetamide
    (50) Pilocarpine
    (51) Homatropine
    (52) Chlorhexidine
    (53) Cetrimide
    (54) Parachlore metaxylenol
    (55) Promethazine
    (56) Dexamethasone
    (57) Ethinyl Oestradiol
    (58) Norethisterone
    (59) Glybenclamide
    (60) Chlororopamide
    (61) Neestigmine
    (62) Suxamethonium (Succinyl Choline Chloride)
    (63) Ergometrine/Methyl ergometrine
    (64) Oxytocin
    (65) Amitriptyline

(66) Imipramine
(67) Triluoperazine
(68) Amonophylline/Theophylline
(69) Salbutamol
(70) Ephedrine
(71) Vitamin A
(72) Vitamin D
(73) Vitamin C
(74) Pantothanates
(75) Ferrous Salts
(76) Chlorpromazines
(77) Hydroxyellinl Theophylline
(78) Dexyceycline
(79) Diazepam
(80) Cephalexin
(81) Cephradine
(82) Cepoaloridine

23. Writing, printing and wrapping paper from agricultural residue, waste and bagasse.
24. Cotton seed linter pulp.
25. Vegetable oils, namely—
(a) Solvent extraction of oil/oil cakes from minor seeds excluding cotton seeds; and
(b) Rice bran oil
26. Detergents of ISI standards
27. Refractories and furnace lining bricks
28. H. T. Insulators
29. Graphite Ceramics
30. Gypsum boards, wall boards and the like

PART B

1. Steel structurals
2. GLS Lamps
3. Cycles
4. Agricultural implements
5. Hand tools and small tools than those covered under entry No. 10 of Part A.
6. Pressure cooker, cutlery and steel furniture.
7. Lanterns of all types.
8. Fuel efficient stoves
9. Water pumps beyond 10 cms based on electric motors
10. Industrial sewing machines
11. Multiplication and reproduction equipment other than those covered under entry No. 12 of Part A.
12. Cash registers/invoicing machines other than those covered under entry No. 14 of Part A.
13. Weighing machines other than electronic types
14. Mathematical surveying and drawing instruments
15. Industrial gases other than those covered under entry No. 21 of Part A.
16. Canned fruit and vegetable products protein and processed foods, vegetable based weaning food, marine products and cattle feed.
17. Soap, cosmetics, perfumery and toiler preparations
18. Leather goods
19. Surgical and medical rubber products
20. Glassware
21. Chinaware, pottery and sanitaryware
22. Tiles
23. Insulating boards
24. Printing, including litho printing.

[F. No. 5/20/82-M(I)]

I. L. NAGPAL, Dy. Secy.

1606 GI/85—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986